खास खबरें

लालघाटी से 30 हजार की एक्टिवा चोरी

नप्र, भोपालः कोहेफिजा थाना क्षेत्र के लालघाटी चौराहे से एक्टिवा चोरी होने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता दीपेन्द्र सिंह के अनुसार उनकी एक्टिवा क्रमांक एमपी04 एसक्यू4098 को अज्ञात आरोपी चोरी कर ले गया। वाहन की कीमत करीब 30 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। आसपास के क्षेत्र में जांच कर चोरी हुए वाहन की तलाश की जा रही है।

चूनाभट्टी से एक्टिवा चोरी

चूनाभट्टी थाना क्षेत्र में एक्टिवा चोरी का मामला दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता कमलेश प्रसाद पाण्डेय के अनुसार उनकी एक्टिवा क्रमांक एमपी04 एसक्यू7689 को चूनाभट्टी मोड़ के पास से अज्ञात आरोपी चोरी कर ले गया। वाहन की कीमत करीब 15 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज किया है। चोरी हुए वाहन और आरोपी की तलाश के लिए जांच की जा रही है।

घर ताला तोड़कर,चोरी

हबीबगंज थाना क्षेत्र के चार इमली स्थित ई-3/11 में चोरी की घटना सामने आई है। शिकायतकर्ता द्वारिका प्रसाद अहिरवार के अनुसार अज्ञात आरोपी ताला तोड़कर नल की टोंटियां चोरी कर ले गया। चोरी गई टोंटियों की कीमत करीब 16 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। अज्ञात आरोपी की तलाश के साथ घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है।

लापरवाही से वाहन चलाकर मारी टक्कर

गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के रायसेन रोड पर वाहन की टक्कर का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार कार क्रमांक एमपी13 जेके2134 के चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज किया है। घटना के संबंध में वाहन चालक की भूमिका और दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच की जा रही है।

देशी शराब जब्त

शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्र में अवैध शराब रखने के मामले में कार्रवाई की गई। मल्टी बागसेवनियां नगर क्षेत्र में नवल सिंह रघुवंशी के पास से 40 क्वार्टर देशी शराब बरामद होने की जानकारी रिपोर्ट में दर्ज है। शराब की कीमत 3,040 रुपये बताई गई है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मामले में आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है।

सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते दो पकड़े

टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की। रिपोर्ट के अनुसार गोलू चौहान और वसीम पठान के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 36 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। दोनों पर सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने का आरोप है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले दर्ज किए हैं। घटना की जानकारी दैनिक अपराध प्रतिवेदन में दर्ज की गई है।

सात वर्षीय बच्ची लापता

टीटीनगर थाना क्षेत्र में सात वर्षीय बच्ची के लापता होने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार गायत्री बाई गुर्जर की सात वर्षीय पुत्री बिना बताए कहीं चली गई। बच्ची के संबंध में गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बच्ची की तलाश के लिए पुलिस उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रयास कर रही है।

17 वर्षीय किशोरी के लापता होने की रिपोर्ट

निशातपुरा थाना क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी, ईरानी डेरा से 17 वर्षीय किशोरी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। रिपोर्ट के अनुसार बिना बताए कहीं चली गई। किशोरी के पिता नरेन्द्र मेहरा की शिकायत पर गुम इंसान का मामला दर्ज किया गया।

महिला के लापता होने का मामला दर्ज

खजूरी सड़क थाना क्षेत्र से 31 वर्षीय उमा मारन के लापता होने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार उमा मारन बिना बताए कहीं चली गई। उनके पति नाथूराम मारन की शिकायत पर पुलिस ने गुम इंसान का मामला दर्ज किया है।

मध्यप्रदेश में 15 प्रतिशत कम बारिश, बाढ़ और सूखे दोनों से निपटने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश, जिला और राज्य स्तर पर आपदा कंट्रोल रूम सक्रिय रखने पर जोर

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः मध्य प्रदेश में मानसून के दौरान औसत से 15 प्रतिशत कम बारिश होने के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को मंत्रालय में वर्षा और जलभराव की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कम वर्षा वाले जिलों में जरूरी तैयारियां पूरी रखें और जहां अतिवृष्टि या बाढ़ की आशंका है, वहां राहत एवं बचाव के इंतजाम पहले से सुनिश्चित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि असामान्य बारिश की स्थिति में किसानों और नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

बैठक में बताया गया कि 1 जून से 10 अगस्त तक प्रदेश में सामान्य 571 मिलीमीटर के मुकाबले 483 मिलीमीटर वर्षा हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 513.20 और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 459.80 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

प्रदेश में धान की 84 प्रतिशत बोवनी पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने किसानों को कम सिंचाई में होने वाली रबी फसलों की बोवनी के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से चने की फसल के लिए पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने को कहा। खाद-बीज की उपलब्धता, फसल बीमा, सिंचाई के दौरान बिजली आपूर्ति और किसानों से निरंतर संवाद बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।

फसलों के नुकसान का होगा सर्वे

अतिवृष्टि या जलभराव से प्रभावित फसलों का राजस्व विभाग की टीमों से पारदर्शी सर्वे कराने और पात्र किसानों को आपदा राहत कोष से मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया पर ध्यान देने को कहा गया। बारिश के बाद सड़कों के संधारण और संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

बांधों में 49 प्रतिशत जलभराव

बैठक में बताया गया कि 10 अगस्त तक प्रदेश के बांधों में करीब 49 प्रतिशत जलभराव है। पिछले पांच वर्षों का औसत 59 प्रतिशत और पिछले वर्ष इसी अवधि में जलभराव 75 प्रतिशत था। प्रदेश में 36 जलाशयों में 50 प्रतिशत या उससे कम तथा 18 जलाशयों में 50 से 90 प्रतिशत तक जलभराव दर्ज किया गया है।

नयापुरा में आवासीय प्लॉट पर अनुमति से अधिक किए गए निर्माण को ढहाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में भोपाल नगर निगम ने सोमवार को आवासीय क्षेत्रों में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की।

निगम के भवन अनुज्ञा अमले ने ए-सेक्टर नयापुरा, कोलार रोड स्थित प्लॉट नंबर 34/1 और 34/2 पर बिना अनुमति और निर्धारित एफएआर से अधिक क्षेत्र में बनाए गए दुकानों और मकान के अवैध हिस्से को जेसीबी की मदद से हटाया।

निगम अधिकारियों के अनुसार संबंधित निर्माणकर्ताओं को कार्रवाई से पहले नियमानुसार कई बार नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने तथा भवन निर्माण अनुमति और स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के बाद निगम ने कार्रवाई की।

नोटिस के बाद भी नहीं दिए जरूरी दस्तावेज : निगम की भवन अनुज्ञा शाखा के अनुसार भवन स्वामियों को अवैध निर्माण के संबंध में समय-समय पर पत्र जारी किए गए थे। जवाब नहीं मिलने पर मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 302(1) के तहत नोटिस जारी किया गया। इसके बाद भी संबंधित पक्ष को लिखित स्पष्टीकरण और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया।

सुनवाई के दौरान निर्माणकर्ताओं की ओर से तत्कालीन सरपंच द्वारा अनुमोदित भवन अनुज्ञा मानचित्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। निगम के मुताबिक इस दस्तावेज में भवन निर्माण अनुमति क्रमांक और दिनांक का उल्लेख नहीं था।

पंचायत की अनुमति पर भी उठे सवाल : निगम का कहना है कि संबंधित पक्ष ग्राम पंचायत द्वारा भवन अनुज्ञा जारी किए जाने की विधिसम्मत प्रक्रिया पूरी किए जाने से जुड़े अभिलेख, साक्ष्य या वैधानिक प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं कर सका। ऐसे में प्रस्तुत अनुमति को निगम ने वैध भवन निर्माण अनुमति के रूप में स्वीकार नहीं किया।

रासेयो की सभी इकाइयां सक्रिय हों गतिविधियों का करें विस्तार : परमार

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना विद्यार्थियों में सेवा, नेतृत्व, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। सोमवार को मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी इकाइयां सक्रिय और क्रियाशील हों तथा गतिविधियों का व्यापक विस्तार किया जाए।

मंत्री ने कहा कि जिन विद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयां नहीं हैं, वहां राज्य मद से नई इकाइयां गठित करने की कार्ययोजना तैयार की जाए।

सांदीपनि विद्यालयों में भी इकाइयां शुरू करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने गोद ग्रामों की संख्या बढ़ाने और सेवा गतिविधियों को स्थानीय जरूरतों तथा जनभागीदारी से जोड़ने पर जोर दिया।

परमार ने कहा कि विद्यार्थियों को केवल सहभागी नहीं, बल्कि गतिविधियों की योजना और संचालन में जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इससे उनमें आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित होगी। जिला और तहसील मुख्यालयों के खेल मैदानों में आने वाले युवाओं को नशामुक्ति और टीबी मुक्त अभियान से जोड़ने के लिए विशेष गतिविधियां संचालित करने के निर्देश भी दिए गए।

अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन ने अधिक से अधिक विद्यालयों-महाविद्यालयों में नई इकाइयां स्थापित करने और विद्यार्थियों को योजना से जोड़ने पर जोर दिया।

पांच कलाकारों की समूह प्रदर्शनी का शुभारंभ आज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भारत भवन के रूपंकर कला प्रभाग की ओर से मंगलवार से पांच कलाकारों की समूह प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। रंगदर्शनी दीर्घा में लगने वाली इस प्रदर्शनी में समकालीन कला के विविध रंग, रूप और शिल्पगत प्रयोग देखने को मिलेंगे। प्रदर्शनी का शुभारंभ शाम पांच बजे होगा।

प्रदर्शनी में नेहा शर्मा, नेहा सैयद, राज पहाड़े, शुभम वर्मा और स्वाति एम. जैन की कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। चित्रकला के साथ शिल्पकृतियों को भी इसमें स्थान दिया गया है। इससे दर्शकों को विभिन्न कला माध्यमों और अभिव्यक्ति की अलग-अलग शैलियों को एक साथ देखने का अवसर मिलेगा। भारत भवन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रेम शंकर शुक्ल ने बताया कि भारत भवन समकालीन कला के सृजन, संवाद और प्रदर्शन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समूह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है।

तिरंगा यात्रा को जन-जन की यात्रा बनाएं कार्यकर्ता : महेंद्र सिंह

राष्ट्रीय ध्वज भारत की शक्ति और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक, 13 अगस्त को इंदौर में निकलेगी यात्रा

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने सोमवार को इंदौर स्थित पार्टी कार्यालय में जिला पदाधिकारियों, मंडल प्रभारियों और महिला मोर्चा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उन्होंने 13 अगस्त को प्रस्तावित तिरंगा यात्रा को जन-जन की यात्रा बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

महेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज भारत की शक्ति और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। अगस्त क्रांति में इंदौर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्ष 1942 में 11 और 12 अगस्त को इंदौर के प्रजामंडल के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालकर अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन को गति दी थी। उन्होंने कहा कि इसी ऐतिहासिक भूमि पर 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को देवी अहिल्या बाई की पुण्यतिथि भी है। इंदौर की ऐतिहासिक भूमिका और देवी अहिल्या बाई की स्मृति के कारण यह यात्रा विशेष महत्व रखती है। महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख रहा है। देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है और राष्ट्रीय हितों पर दृढ़ता से निर्णय ले रहा है। तिरंगा यात्रा देश के वीर जवानों के शौर्य को नमन करने और नागरिकों में राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना मजबूत करने का अवसर है। बैठक को जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता सहित पार्टी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और अभियान टोली के सदस्य उपस्थित रहे।

छात्र परिषद ने पद और गोपनीयता की शपथ ली

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः संस्कार स्कूल में नवनिर्वाचित छात्र परिषद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। परिषद सदस्यों ने अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा की शपथ ली। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कर्नल नारायण पारवानी, संस्था अध्यक्ष सुशील वासवानी, सचिव बसंत चेलानी और कोषाध्यक्ष चन्दर नागदेव ने परंपरागत तरीके से किया।

समारोह में नीलम मेहर (अध्यक्ष), महक आहूजा (उपाध्यक्ष), वंशिका चौहान (सचिव) सहित विभिन्न पदों पर चयनित विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा कर्तव्यनिष्ठता एवं अनुशासन की शपथ दिलाई गई। समारोह में चेलानी ने कहा कि 'शपथ लेना सरल है, लेकिन उसे निभाना कठिन।' कर्नल पारवानी ने कहा कि 'शपथ लेने वाले बच्चों, आपको अपना काम पूरी लगन एवं ईमानदारी से करना है ताकि अन्य छात्र आपसे प्रेरणा ले सकें।' अध्यक्ष सुशील वासवानी ने भी दायित्वों को निष्ठा से निभाने पर जोर दिया।

कार्यक्रम में प्राचार्य आर.के. मिश्रा, प्रधानाचार्या मृदुला गौतम, शिक्षक व छात्र उपस्थित रहे। अंत में कोषाध्यक्ष चन्दर नागदेव ने सभी का आभार व्यक्त किया।

रोशनी की ओर एक कदमः 105 लोगों की आँखों की जाँच, 26 मरीजों का हुआ मुफ्त ऑपरेशन

सेवा सदन और भोपाल उत्सव मेला द्वारा गौतमनगर में नेत्र शिविर

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय ने भोपाल उत्सव मेला समिति के सहयोग से गौतम नगर स्थित आर्य भवन में निःशुल्क नेत्र रोग निदान एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर लगाया, जिसमें 105 लोगों की आंखों की जांच की गई, जिसमें 63 पुरुष तथा 42 महिला शामिल थी।

इनमें से 26 मरीजों में मोतियाबिंद के लक्षण पाए गए। सभी मरीजों को एंबुलेंस से सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया, जहां सोमवार को उनके मोतियाबिंद ऑपरेशन किये गये। जिन लोगों में मोतियाबिंद की शिकायत नहीं मिली, उन्हें निःशुल्क दवाईयां प्रदान की गई और सभी रोगियों के ब्लड प्रेशर और मधुमेह की जांच भी की गई।

बता दे वर्षाकाल में भोपाल उत्सव मेला समिति के सहयोग से भोपाल में 10 नेत्र शिविर लगाये जाते हैं। इसी कड़ी में रविवार को आठवां शिविर लगाया गया था। अगला शिविर रविवार 16 अगस्त 2026 को श्री दिगम्बर जैन मंदिर मंगलवारा, भोपाल में लगेगा।

इस शिविर में भोपाल चेम्बर्स ऑफ कामर्स के अध्यक्ष गोविंद गोयल, अरूणेश्वर शरण सिंह देव बाबा, पार्षद राजेश यादव, भोजमेस से प्रदीप अग्रवाल, सुनील जैनाविन, श्याम मंगल, नारायण सिंह कुशवाह, ओमप्रकाश खुराना, सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय के ट्रस्टी सुरेश आवतरामानी एवं अस्पताल के कर्मचारीगण उपस्थित थे।

क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर 1.74 लाख की ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः बागसेवनियां थाना क्षेत्र में क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर 1.74 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायत के अनुसार अज्ञात आरोपी ने क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर 1,74,229 रुपये निकाल लिए। घटना एम्स कैंपस क्षेत्र की है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

ओटीपी पूछकर खाते से 1.10 लाख उड़ाए: बरखेड़ा थाना क्षेत्र में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता सुनील सिंह कुशवाहा के अनुसार अज्ञात आरोपी ने ओटीपी मांगकर उनके खाते से 1,09,999 रुपये निकाल लिए। घटना रेलवे कोर्ट बैरियर क्षेत्र की बताई गई है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। साइबर ठगी के इस मामले में पुलिस लेन-देन और आरोपी की पहचान की जांच कर रही है।

बैंक खाते से 38 हजार रुपये निकाले : बरखेड़ा थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमनगर, सेमरा में बैंक खाते से 38 हजार रुपये निकालने का मामला दर्ज हुआ है।

शिकायतकर्ता अजय सिंह ने पुलिस को बताया कि अज्ञात आरोपी ने उनके बैंक खाते से रकम निकाल ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस बैंकिंग लेन-देन और रकम निकालने के तरीके की जानकारी जुटाकर आरोपी की पहचान का प्रयास कर रही है।

क्रेडिट कार्ड से 39 हजार की निकासी

बरखेड़ा थाना क्षेत्र की साईंराम कॉलोनी में क्रेडिट कार्ड से 39 हजार रुपये निकालने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता श्रीराम सेन ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार आरोपी ने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रकम निकाली। मामले में संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस लेन-देन की जानकारी जुटाकर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

बारिश पर भारी पड़ी आस्थाः झूलेलाल

चालीहा साहिब मंदिर में लगा छप्पन भोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः रात भर से हो रही बारिश के बीच सोमवार सुबह झूलेलाल चालीहा साहिब मंदिर में भगवान झूलेलाल जी को छप्पन भोग लगाया गया। झूलेलाल जी के सेवकों और अनुयायियों ने श्रद्धा के साथ अपने-अपने घरों से विविध व्यंजन बनाकर प्रभु को अर्पित किए। भोग में लड्डू, पेड़े, तहरी, हलवा, मालपुआ, ढोकला, नारियल बर्फी, खुरमा, चॉकलेट, आलू-पूड़ी, चने और ढोढ़ी-चटनी जैसे व्यंजन शामिल थे।

इस अवसर पर अध्यक्ष चंद्रभान रिझवानी और ओमप्रकाश रीझवानी ने भजनों की प्रस्तुति दी। गौरव रिजवानी, हन्नी वाधवानी तथा जगदीश ने श्रद्धालुओं को छप्पन भोग के प्रसाद का वितरण किया। इस मौके पर महिला मंडल की ओर से किरण वाधवानी, नैना, प्राची, सोना, भूमि, ममता, रेखा, प्रीत, रजनी, लक्ष्मी वाधवानी, मधु लालवानी और लाजवंती विशेष रूप से मौजूद रहीं।

जाहिर सूचना

मेरे पक्षकार के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने श्री आदित्य देव पाठक आत्मज श्री कैलाशनाथ पाठक निवासी-खजूरीकला, हुजूर जिला भोपाल के स्वत्व स्वामित्व की कृषिभूमि जिसका खसरा क्रं. 341/1/2, 344/5, कुल रकबा 0.2020 हे. में से आधा एकड़ क्रय किया है, जो कि ग्राम खजूरीकला प.ह.नं. 31/19 विकासखंड फंदा, तहसील हुजूर वार्ड क्रं. 61 जिला भोपाल म.प्र. में स्थित है, को क्रय करने हेतु टोकन राशि का भुगतान कर दिया गया है। यदि उपरोक्त भूमि के क्रय विक्रय के संव्यवहार के संबंध में किसी व्यक्ति, सहकारी संस्था, बैंक, वित्तीय संस्थान, शासकीय अर्द्धशासकीय, निकाय आदि को कोई आपत्ति हो या उक्त भूमि कहीं बंधक, विक्रय, रहन, अनुबंधित, विवादित इत्यादि हो या उक्त भूमि में किसी का हित अधिकार निहित हो, तो वह व्यक्ति संस्था आदि इस सूचना पत्र के प्रकाशन से 10 दिवस की अवधि में मेरे कार्यालय में लिखित आपत्ति मय संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि के अवसान के पश्चात मेरे पक्षकार उक्त वर्णित भूमि के संबंध में पंजीयन विक्रय पत्र का निष्पादन करवा लेंगे एवं बाद में प्रस्तुत आपत्ति प्रभाव शून्य होकर मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी।

भवदीय अरुण सिंह चौहान, एडवोकेट
पता-शिवाजी बाड़ा बरखेड़ा पठानी जिला भोपाल म.प्र. मो. नं. 9303134356

1259

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी टी नगर भोपाल
(शेड नं. 06 बारह दफ्तर जवाहर चौक भोपाल)
प्र. क्र. 0117/अ-6/2026-27

इश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री गुरमित सिंह बाधवा पुत्र श्री चरणजीत बाधवा निवासी-2/170 दानिश हिल्स कॉलोनी, कोलार रोड़ भोपाल एवं असिमत बाधवा पुत्र श्री गुरमित सिंह बाधवा निवासी-जी-2, ए.जी. क्लासिक नेताजी हिल्स भोपाल ग्राम चूनाभट्टी स्थित खसरा नंबर 19/1/2 का अंश भाग 78.58 वर्गफिट रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो प्रकरण में 07 दिवस के भीतर इस न्यायालय में स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि व्यतीत होने के बाद प्राप्त आपत्तियों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा। आज जारी दिनांक 05/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
टी.टी. नगर वृत्त भोपाल

1258

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी टी नगर भोपाल
(शेड नं. 06 बारह दफ्तर जवाहर चौक भोपाल)
प्र. क्र. 0118/अ-6/2026-27

इश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री गुरमित सिंह बाधवा पुत्र श्री चरणजीत बाधवा निवासी-2/170 दानिश हिल्स कॉलोनी, कोलार रोड़ भोपाल एवं असिमत बाधवा पुत्र श्री गुरमित सिंह बाधवा निवासी-जी-2, ए.जी. क्लासिक नेताजी हिल्स भोपाल ग्राम चूनाभट्टी स्थित खसरा नंबर 19/1/2 का अंश भाग 250 वर्गफिट रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो प्रकरण में 07 दिवस के भीतर इस न्यायालय में स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि व्यतीत होने के बाद प्राप्त आपत्तियों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा। आज जारी दिनांक 05/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
टी.टी. नगर वृत्त भोपाल

1257

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी टी नगर भोपाल
(शेड नं. 06 बारह दफ्तर जवाहर चौक भोपाल)
प्र. क्र. 0130/अ-6/2026-27

इश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री गुरमित सिंह बाधवा पुत्र श्री चरणजीत बाधवा निवासी-2/170 दानिश हिल्स कॉलोनी, कोलार रोड़ भोपाल एवं असिमत बाधवा पुत्र श्री गुरमित सिंह बाधवा निवासी-जी-2, ए.जी. क्लासिक नेताजी हिल्स भोपाल ग्राम चूनाभट्टी स्थित खसरा नंबर 19/1/2 का अंश भाग 90.73 वर्गफिट रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो प्रकरण में 07 दिवस के भीतर इस न्यायालय में स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि व्यतीत होने के बाद प्राप्त आपत्तियों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा। आज जारी दिनांक 05/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
टी.टी. नगर वृत्त भोपाल

1256